कार्यपालन सारांश

कर संग्रहण	वर्ष 2010–11 में, विद्युत पर कर एवं शुल्क से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 31.22 प्रतिशत की कमी आई । वर्ष 2008–09 का राजस्व वर्ष 2009–10 में जमा किया गया था । परिणामस्वरूप वर्ष 2009–10 का राजस्व बढ़ाकर दर्शाया गया था और इस प्रकार वर्ष 2010–11 के राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में कमी की प्रवृत्ति देखी गई ।
वर्ष 2010–11 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2010–11 में, हमने विद्युत शुल्क से संबंधित पाँच इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की, जिसमें 2,38,865 प्रकरणों में ₹ 252.68 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला। विभाग ने वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 2,38,865 प्रकरणों में ₹ 252.68 करोड़ में से 229 प्रकरणों में ₹ 2.95 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया ।
हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है।	इस अध्याय में हमने मुख्य विद्युत निरीक्षकों, उप मुख्य विद्युत निरीक्षकों तथा संभागीय विद्युत निरीक्षकों के कार्यालयों में विद्युत शुल्क/शास्ति की कम वसूल ी/वसूली न होने से संबंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 3.48 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा बार–बार इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये निरीक्षण फीस की प्राप्ति न होने, शुल्क एवं शास्ति की कम वसूली/वसूली न होने के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहाँ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय – 8
विद्युत शुल्क

8.1 कर प्रशासन

मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) संगठन के प्रमुख हैं जबकि ऊर्जा विभाग के सचिव शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं । विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण कार्य हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिये दो अधीक्षण यंत्री (अ.यं., विद्युत सुरक्षा), जिला स्तर पर सात संभागीय विद्युत निरीक्षक (सं.वि.नि., विद्युत सुरक्षा) तथा उप संभागीय स्तर पर 34 सहायक विद्युत निरीक्षक होते हैं । वे विद्युत तथा विद्युत संस्थापनाओं के कैप्टिव तथा गैर–कैप्टिव उपभोक्ताओं के संबंध में शुल्क, उपकर तथा निरीक्षण फीस के आरोपण तथा संग्रहण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं ।

8.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विगत पाँच वर्षों 2006–07 से 2010–11 के दौरान विद्युत शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका तथा रेखा ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता(+)/ कमी(-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2006–07	763.36	714.55	(-) 48.81	(-) 6.39	10,473.13	6.82
2007–08	832.00	626.08	(-) 205.92	(-) 24.75	12,017.64	5.21
2008–09	900.00	343.06	(-) 556.94	(-) 61.88	13,613.50	2.52
2009–10	1,000.00	2,146.49	(+) 1146.49	(+)114.65	17,272.77	12.43
2010–11	1,090.00	1,476.32	(+) 386.32	(+) 35.44	21,419.33	6.89

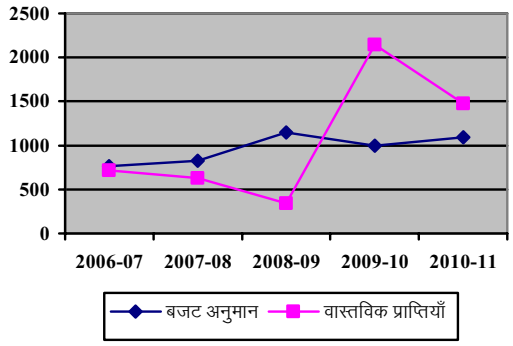

वर्ष 2010–11 में विद्युत पर कर एवं शुल्क से प्राप्त कर संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 31.22 प्रतिशत की कमी आई । वर्ष 2008–09 से संबंधित राजस्व वर्ष 2009–10 में जमा किया गया । परिणामस्वरूप वर्ष 2009–10 से संबंधित राजस्व बढ़ाकर दर्शाया गया था और इस प्रकार वर्ष 2010–11 के राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में कमी की प्रवृत्ति देखी गई ।

8.3 बजट अनुमानों का विश्लेषण

बजट अनुमान तैयार करने के संबंध मे शासन स्तर पर कोई भी फाइल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई । हालांकि, विभाग प्रमुख के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों में हमने अवलोकित किया कि वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से वसूल की जाने वाली राजस्व प्राप्तियों का आँकलन करने हेतु किन्हीं एकरूप प्रतिमानकों का अनुसरण किये बगैर बजट अनुमान तदर्थ आधार पर तैयार किये गये । वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 1,090 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध संशोधित अनुमान ₹ 1,102.59 करोड़ था । वर्ष 2009–10 से संबंधित ₹ 300.62 करोड़ की बकाया राशि की प्राप्ति के कारण वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ 1,476.32 करोड़) संशोधित अनुमान से 33.90 प्रतिशत अधिक थीं । विद्युत पर कर एवं शुल्क मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की कार्यकारी पूँजी के लिए जारी ऋण से पुस्तक समायोजन द्वारा वसूल किया गया था; इसलिए वास्तविक प्राप्तियों में चालू वर्ष के दौरान वसूल की गई प्राप्तियाँ नहीं दर्शायी गई थीं ।

8.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा विभाग में प्रचालित थी, फिर भी माँगे जाने के बाद भी शाखा की संगठनात्मक संरचना, लेखापरीक्षा योजना का अस्तित्व, क्या आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों आदि पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई थीं, आदि के संबंध मे विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी । अतः हम आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की प्रभावकारिता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं ।

8.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

विद्युत शुल्क से संबंधित पाँच इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,38,865 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 252.68 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	1,39,440	1.64
2.	अन्य प्रेक्षण	99,425	251.04
योग		**2,38,865**	**252.68**

वर्ष के दौरान, विभाग ने वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 2,38,865 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 252.68 करोड़ की राशि में से 229 प्रकरणों में ₹ 2.95 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 3.48 करोड़ की राशि अंतर्निहित है,का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

8.6 शास्ति का अनारोपण

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 141 के तहत, यदि किसी विद्युत संस्थापना का स्वामी नियम के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह प्रत्येक उल्लंघन के लिये ₹ 300 तक की शास्ति के भुगतान का दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो वह उल्लंघन रहने तक ₹ 50 प्रतिदिन शास्ति का दायी होगा । आगे, ऊर्जा विभाग द्वारा फरवरी 1987 में जारी अनुदेशों (विधि विभाग की सलाह के आधार पर जारी) के अनुसार, प्रकरणों को न्यायालय में दर्ज कराने के बाद ही न्यायालय द्वारा शास्ति आरोपित की जा सकती है। विद्युत विभाग के किसी अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है ।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य छः इकाइयों[1] में किए गये निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान 74,541 मध्यम एवं उच्च वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण करते समय यद्यपि निरीक्षकों ने नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया, परन्तु विभाग ने प्रकरण शास्ति आरोपण की कार्यवाही हेतु न्यायालय में नहीं भेजे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.24 करोड़ की अधिकतम शास्ति आरोपित नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, संबंधित कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों ने अक्टूबर 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य बताया कि शास्ति न्यायालय के द्वारा आरोपित की जानी है तथा विभाग को शास्ति आरोपित करने का कोई अधिकार नहीं था और शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया पर होने वाला व्यय उससे प्राप्त हो सकने वाले राजस्व से अधिक होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण न्यायालय में नहीं भेजे थे । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

हमने दिसम्बर और मई 2011 के मध्य प्रकरण मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा (मु.वि.नि., वि.सु.) एवं शासन को प्रेषित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

[1] मु.वि.नि., वि.सु., भोपाल, उ.मु.वि.नि., वि.सु. इंदौर, उ.मु.वि.नि., वि.सु. जबलपुर, सं.वि.नि., वि.सु. छिंदवाड़ा, रीवा और उज्जैन ।

8.7 निरीक्षण फीस की वसूली न होने के कारण राजस्व हानि

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46 एवं मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल 2007 के अनुसार, विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए उनकी श्रेणियों के अनुसार निर्धारित दरों पर फीस आरोपणीय है । प्रत्येक वर्ष 01 मई से पूर्व विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए फीस का भुगतान किया जाना चाहिए । यदि निरीक्षण नहीं किया जाता है तो भुगतान की गई फीस का समायोजन अनुवर्ती वर्ष हेतु देय फीस में किया जायेगा । मध्यम वोल्टेज की विद्युत संस्थापनाओं का आवधिक निरीक्षण एवं परीक्षण कम से कम पांच वर्ष से अनधिक अंतराल पर एक बार तथा अन्य प्रकरणों में वर्ष में एक बार किया जाता है।

अक्टूबर 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य मु.वि.नि., वि.सु., दो उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा (उ.मु.वि.नि., वि.सु.), इन्दौर एवं जबलपुर तथा तीन संभागीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा (सं.वि.नि., वि.सु.) रीवा, उज्जैन तथा छिंदवाड़ा से किये गये निरीक्षणों के संबंध में एकत्रित जानकारी की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि 1,68,570 की उच्च वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं तथा 3,05,455 मध्यम वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं में से 79,946 उच्च वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं तथा 52,515 मध्यम वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं का वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 की अवधि से संबंधित निरीक्षण नहीं किया गया । निरीक्षण न की गई संस्थापनाओं के कारण मानव तथा जानवरों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है । आगे, वसूल न की गई निरीक्षण फीस के रूप में ₹ 1.25 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, संबंधित कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों ने अक्टूबर 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य बताया कि उपलब्ध कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित करने के उपरान्त विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण किया जा रहा था । तथ्य यह है कि शासकीय अधिसूचना के अनुसार निरीक्षण फीस की वसूली प्रत्येक वर्ष 01 मई से पहले ही की जानी थी और यदि निरीक्षण नहीं किये गये थे तो इन्हें अनुवर्ती वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जाना था । निरीक्षण न किये जाने के कारण जन सुरक्षा के साथ समझौता किया गया ।

हमने प्रकरण मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा तथा शासन को दिसम्बर 2010 और मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

8.8 विद्युत शुल्क की कम वसूली के कारण राजस्व की हानि

जैसा कि विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 में परिभाषित किया गया है, ''खान'' के अन्तर्गत वह परिसर अथवा मशीनरी सम्मिलित है जो खान में या उससे लगे हुए स्थान पर स्थित है तथा जिसका उपयोग माल को तोड़ने, रूपान्तरित करने, व्यवहार में लाने या उसको परिवहित करने में किया जाता है। अधिनियम में सीमेंट उद्योग की कैप्टिव खानों को छोडकर, खानों के लिए शुल्क को 40 प्रतिशत की दर से लागू किये जाने का प्रावधान है।

नवम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 में उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा, जबलपुर एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा, रीवा के विद्युत शुल्क लेजर की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 47 उपभोक्ता अप्रैल 2009 और अगस्त 2010 के मध्य खनन गतिविधियों में संलग्न थे, लेकिन उन पर खनन गतिविधियों हेतु 40 प्रतिशत शुल्क के स्थान पर, औद्योगिक उद्देश्यों हेतु लागू 3.5 प्रतिशत से आठ प्रतिशत की दर से गलत ढंग से शुल्क आरोपित किया गया था । परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ के शुल्क की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, मुख्य विद्युत निरीक्षक ने सं.वि.नि., वि.सु., रीवा के संबंध में बताया (मई 2011) कि मार्च 2011 में ₹ 46.60 लाख की मांग सृजित की गई थी । शेष राशि के संबंध में आगामी प्रगति अप्राप्त है (मार्च 2012) ।

हमने प्रकरण मई 2011 में शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012) ।